

सेवा में,

माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति,  
(जनपद बाराबंकी),  
इलाहाबाद उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

विषय वर्ष 2022-2023 में जनपद न्यायाधीश बाराबंकी द्वारा प्रदत्त प्रविष्टि को  
उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि प्रार्थी आलोच्य अवधि में अतिरिक्त विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यरत रहा। इस वर्ष में न्यायालय में प्राचीनतम एक्शन प्लान हेतु चिन्हित 50 क्रिमिनल ट्रॉयल को शत प्रतिशत गुणदोष (दोषसिद्धि/दोषमुक्त) के आधार पर निर्णीत किया। इस अवधि में कुल 75 क्रिमिनल ट्रॉयल गुणदोष पर निर्णीत किये गये। इसके साथ ही माननीय उच्च न्यायालय के समयबद्ध निर्देश पर न्यायालय में लंबित आरबिट्रेशन एक्ट के सभी 97 वाद निस्तारित किया गया। आलोच्य अवधि में कुल 85 क्रिमिनल केस तथा 129 सिविल केस निस्तारित किया गया।

यह उल्लेखनीय है कि इस वर्ष के अधिकांश अवधि में न्यायालय में रीडर तैनात नहीं था। न्यायालय में आशुलिपिक की तैनाती नहीं थी। मात्र एक लिपिक के सहयोग से कठिन परिस्थितियों में कार्य किया गया। अपेक्षित 740 युनिट के स्थान पर 1698 युनिट (229 प्रतिशत) का कार्य प्रार्थी द्वारा निष्पादित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गये मानक, वास्तविक न्यायिक कार्य से अपेक्षित युनिट 166 के स्थान पर 599 युनिट (360 प्रतिशत) का कार्य निष्पादित किया गया।

महोदय इस अवधि में प्रार्थी का न्यायिक कार्य निष्पादन उत्कृष्ट श्रेणी का है। न्यायालयीय कार्य विधिसंगत तरीके से निर्विवाद रूप से सम्पादित किया गया। सतत प्रयास रहा है कि प्रार्थी के कार्य एवं व्यवहार से हमारे न्यायिक संस्था की विश्वसनीयता एवं साख में अभिवृद्धि हो। उसके बावजूद मा० जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रार्थी को "Good" प्रविष्टि दी गयी है। इसी अवधि के लिये जनपद में तैनात कई अपर सत्र न्यायाधीशों को 'उत्कृष्ट' प्रविष्टि दी गयी है। इस अन्यायपूर्ण प्रविष्टि उल्लेख के उन आधारों पर दृष्टिपात आवश्यक है जो कार्य निष्पादन के अतिरिक्त अन्य कारकों के आधार पर प्रदान किया गया है। कार्य निष्पादन का सापेक्ष मूल्यांकन प्रार्थनीय है। प्रार्थी द्वारा अपने विधिक दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, इमानदारी एवं कर्मठता से कार्य किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने कार्य एवं व्यवहार से भरसक प्रयास किया गया कि अपने न्यायिक संस्था की विश्वसनीयता एवं साख में अभिवृद्धि हो। परन्तु उपरोक्त प्रविष्टि से प्रार्थी को निराशा हुई है।

अतः महोदय से से करबद्ध प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों की समग्रता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी को प्रदत्त प्रविष्टि "Good" को उच्चीकृत करने की कृपा करें।

सादर,

प्रार्थी,

दिनांक 18.07.2023

(अजय कुमार श्रीवास्तव)  
अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश,  
जनपद बाराबंकी।